

1. भूमि का प्रकार – आवासीय फ्लेट
2. मौहल्ला/ग्राम, स्थित मौजा
3. सम्पत्ति का विवरण (फ्लेट नंबर– पर बना है बिना छत्त सीलिंग तक बेचा जा रहा है
4. मापन की इकाई (भूमि क्षेत्रफल) सुपर एरिया वर्गमीटर
5. कुल आच्छादित क्षेत्रफल वर्गमीटर
6. निर्माण का वर्ष, नया बना है
7. प्रतिफल की धनराशि. /-रूपये
8. स्टाम्प हेतु मालियत /-रूपये
9. स्टाम्प देय : /-रूपये का ई-स्टाम्प सर्टिफिकेट नंबर आई एन यू पी जो सर्टिफिकेट इस प्रलेख के साथ संलग्न किया जा रहा है।
10. सरकारी दर /-रूपये वर्गमीटर जो पर होने की वजह से निर्धारित दर प्रतिशत यानि /-रूपये प्रतिवर्गमीटर जो नवीन रेट लिस्ट के पृष्ठ संख्या- कमांक पर दर्ज है कार्यक्षेत्र 00नि0 मथुरा द्वितीय।

**विक्रेता की संख्या (1)**  
**विक्रेता का विवरण**

**क्रेता द्वितीयपक्ष की संख्या (1)**  
**क्रेता द्वितीयपक्ष का विवरण**

जो कि फ्लेट नंबर– जो पर बना है बिना छत्त सीलिंग तक बेचा जा रहा है और जिसको स्पष्ट रूप से संलग्न मानचित्र में दर्शाया गया है तथा जिसमें बने है। जिसका निर्माण क्षेत्रफल वर्गमीटर है तथा जिसकी सीमा यह है

पूरब–  
पश्चिम–  
उत्तर–  
दक्षिण–  
स्थित मौजा

मिलिकियत विक्रेता कम्पनी की है खरीदा और मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा से मानचित्र संख्या– को पास कराकर ( ) के नाम से बहुमंजिलीय इमारत का निर्माण किया जिस पर विक्रेता कम्पनी का कब्जा है उक्त फ्लेट हर प्रकार के विवादों झगड़ों-झड़ों कर्जों देनदारियों, जमानतों आदि से मुक्त है। जिसमें अलावा प्रथम पक्ष के अन्य किसी का कोई हक हिस्सा या संबंध नहीं है और न ऐसा व्यक्ति अथवा वस्तु है जो प्रथम पक्ष द्वारा उक्त फ्लेट के बेचने में किसी भी प्रकार की रुकावट या बाधा पैदा कर सके। उक्त फ्लेट पर प्रथम पक्ष विक्रेता का वास्तविक व मालिकाना आधिपत्य है और जिसकी बाबत प्रथम पक्ष को हर तरह के अधिकारात मालिकाना व काविजाना व हस्तान्तरण आदि के प्राप्त हैं। फ्लेट बहुमंजिला इमारत का भाग है जिसके बेसमेंट पिलर भूतल से पूरी ऊंचाई में विक्रेता कम्पनी की मिलिकियत है व रहेंगे। बेचे गये फ्लेट के अन्दर जो बेसमेंट पिलर का भाग आता है उसे स्तेमाल करने का हक क्रेता द्वितीय पक्ष को होगा तथा बेचे गये फ्लेट की बाहरी दीवालें शामलाती रहेंगी यानि लगे हुए फ्लेटों को प्रथक करने वाली दीवालें उन फ्लेट स्वामियों की शामलाती रहेंगी। फ्लेट में प्रयुक्त सभी निर्माण सामग्री को भलीभांति क्रेता ने देख लिया है और वह उससे सन्तुष्ट है तथा जो कार्य सम्पत्ति स्वामी प्रथम पक्ष को फ्लेट में कराने थे वह सब कराये जा चुके हैं। कोई कार्य या निर्माण कराया जाना शेष नहीं है। जिसे क्रेता द्वितीय पक्ष स्वीकार करता है। भविष्य में जो भी सुधार कार्य व विकास कार्य क्रेता कराना चाहेगा वह अपनी लागत से करायेंगा। प्रथम पक्ष पर कोई क्लेम आज के बाद कोई अतिरिक्त कार्य कराये जाने का न किया जा सकेगा। फ्लेट सीलिंग तक बेचा जा रहा है। फ्लेट स्वामी कमरों के फर्श दीवाल पर ऊपर सीलिंग व नीचे फर्शों में कोई भी ऐसा कार्य, निर्माण या अवरोध नहीं कर सकेंगे जिससे कि ऊपर या नीचे के फ्लेट स्वामियों को अपनी सम्पत्ति स्तेमाल करने में कोई अवरोध पैदा हो या किसी भी फ्लेट स्वामी को उससे कोई आर्थिक मानसिक या शारीरिक क्षति पहुँचे। यदि कोई फ्लेट स्वामी ऐसा कोई कार्य करेगा तो ऐसी अवस्था में पीड़ित व्यक्ति को होने वाले आर्थिक, शारीरिक व मानसिक क्षति पूर्ति व उसके हर्ज-खर्च नुकसान की अदायगी का जिम्मेदार पीड़ा देने वाला फ्लेट स्वामी होगा। सामूहिक उपयोग हेतु लिफ्ट आदि का प्राविधान किया गया है जिसकी व्यवस्था हेतु सभी फ्लेट स्वामी ( ) व्यवस्था समिति का निर्माण करेंगे एवं सामूहिक उपयोग की सभी वस्तुओं की व्यवस्था का उत्तरदायित्व समिति का होगा। प्रथम पक्ष विक्रेता का उससे कोई सम्बन्ध न होगा न इस सम्बन्ध में किसी खर्च का क्लेम प्रथम पक्ष से न किया जा सकेगा। कुल खर्चों को करने की जिम्मेदारी सामूहिक व्यवस्था के अन्तर्गत फ्लेट स्वामियों द्वारा ही किये जावेंगे। गृह कर, विद्युत चार्ज, एवं टेलीफोन बिलों की अदायगी व अन्य जो भी सुविधा क्रेता कायम करेगा उस कुल के खर्चों की जिम्मेदारी क्रेता की होगी। अन्दरूनी विकास कार्य कराये जा चुके हैं। जिनसे क्रेता सन्तुष्ट है। फ्लेट से सम्बन्धित सभी स्वामित्व के कागज क्रेता ने देखकर तसल्ली करली है फ्लेट इस प्रलेख की सभी पाबन्दीयों के साथ ही बेचा जा सकेगा भविष्य में कोई क्लेम सड़कों झीनों आदि के खर्चों व रख-रखाव से संबन्धित प्रथम पक्ष से न किये जा सकेंगे और मुझ को कम्पनी की ओर से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग दिनांक– क। प्रस्ताव पास कर फ्लेट बेचने व निबंधन कराने आदि के पूरे पूरे अधिकार प्राप्त है अतः उक्त फ्लेट को सीलिंग तक समस्त अधिकारों सहित जो उसकी बाबत विक्रेता प्रथम पक्ष को प्राप्त हैं अथवा भविष्य में प्राप्त हो सकते हैं तक उक्त लिखित सभी शर्तों की पाबन्दीयों के साथ फ्रीहोल्ड सुख्दिकारों के साथ वएवज रूपये में उक्त को वै कतई कर दिया और बेच दिया और मूल्य का रूपया क्रेता से निम्न भांति प्राप्त कर क्रेता का वास्तविक व मालिकाना आधिपत्य फ्लेट पर करा दिया। क्रेता फ्लेट की बाबत हर तरह के अधिकारात मालिकाना व काविजाना व हस्तान्तरण आदि के अपने स्तेमाल में लावें और फ्लेट का खुद जो चाहे सो करें, विक्रेता कम्पनी व उसके साझीदार व उसकी चल अचल सम्पत्ति को बेचे गये फ्लेट से कोई संबंध किसी भी प्रकार का शेष नहीं रहा और न आयन्दा भविष्य में कदापि होगा। यदि बेचे गये फ्लेट की विक्रेता प्रथमपक्ष की मिलिकियत की बाबत कभी कोई विवाद उत्पन्न हो या कोई ऋण जमानत देनदारी आदि का भार पाया जावे तो उस कुल की अदायगी व जबाबदेही की जिम्मेदारी मय जर समन व जर लागत व सूद आदि के सब व जिम्मे विक्रेता कम्पनी की होगी। फ्लेट पर भविष्य में लगने वाले सभी टैक्स जैसे जलकर, गृहकर, जी0एस0टी0 आदि क्रेता द्वारा देय होगा। क्रेता उक्त को पार्किंग सुविधा नहीं दी गई है क्रेता पार्किंग का उपयोग करने का अधिकारी नहीं होगा।

**विवरण मूल्य के रूपयो की प्राप्ति का :-**

लिहाजा यह विक्रय पत्र वखुरी राजी खूब सोच समझ कर लिख दिया कि सनद रहे वक्त पर काम आवें। जिसके दोनों पक्ष क्रेता व विक्रेता कम्पनी आदि सदैव पाबन्द रहेंगे।

तहरीर तारीख

कम्प्यूटराईज्ड : गोपाल कृष्ण झारिया मथुरा

झापट किया : विक्रम अग्रवाल एडवोकेट मथुरा